हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे.न.ब.ग.वि.वि. / मान्यता / 2022 / 1296 दिनांक : 09/09/2022

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव / निदेशक
डालफिन (पी0जी0) इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल नेचुरल साइंस,
माण्डोवाला नियर सुद्धोवाला, चकराता रोड, देहरादून।

विषयः– सत्र 2022–23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 25.07.2022 तथा कालेज / संस्थान द्वारा दिये गये 28 बिन्दुओं के शपथ–पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार डालफिन (पी0जी0) इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल नेचुरल साइंस, देहरादून में संचालित बी0एस–सी0 वानिकी–100 सीट, एम0एस–सी0 बायोटैक्नोलाजी– 33सीट, एम0एस–सी0 बायोकैमिस्ट्री –30सीट, एम0एस–सी0 फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री–27सीट, बी0एस–सी0 बायोटैक्नोलाजी (सी0बी0जैड0)– 60सीट, एम0एस–सी0 माइक्रोबायोलाजी–33सीट, एम0एस–सी0 रसायनविज्ञान–40सीट, एम0एस–सी0 जन्तुविज्ञान–40 सीट, एम0एस–सी0 वनस्पतिविज्ञान–40सीट, एम0एस–सी0वानिकी–30सीट, बी0एस–सी0 कृषि– 220सीट, बी0एस–सी0 उद्यानिकी–100 सीट, एम0एस–सी0 एग्रोनामी–30सीट, एम0एस–सी0 भौतिकविज्ञान–30सीट, बी0काम0–120सीट एवं एम0कॉम0 पाठ्यक्रम में 40 सीट के साथ सत्र **2022–23** के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न प्रतिबन्ध / कमियों के साथ दी जाती है कि:– **Faculty recruitment not submitted for approval to University.**

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. सभी पाठ्यक्रमों के लिए यू0जी0जी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेगें तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगा।
5. कुलपति महोदय के आदेश / निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म–16 देने होंगे।
8. विश्वविद्यालय नियमों का पालन न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगाः–

1. **निरीक्षण समिति द्वारा अंकित प्रतिबन्धों / कमियों को 21 दिनों के अर्न्तगत पूर्ण करना होगा।**
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।

भवदीय
04/09/22
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उप कुलसचिव परीक्षा / परीक्षा नियंत्रक।
2. निजी सचिव, प्रति कुलपति।
3. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

22-52

उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद

कार्यालय–म0सं0–01, लेन नं0–06, पुष्प कुंज कॉलोनी, गोथरावाला रोड़, देहरादून–248121

फोन स0 0135–2975030 uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांकः–र–20 / उ0परा0चि0प0 / 71 / 2019 / 18931 दिनांक 31 अगस्त, 2023

सेवा मे

प्राचार्य / प्रधानाचार्य,
डॉल्फिन पी0जी0 इन्स्टीट्यूअ ऑफ बायोमेडिकल नचुरल साइसेज,
ग्राम–माडुवाला चकराता रोड देहरादून।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में परा–चिकित्साकीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों में परा–चिकित्साकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के 17 भाग–ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी / सरकारी पैरा–मेडिकल विश्वविद्यालय / संस्थान में परा–चिकित्साकीय पाठ्यक्रमो के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा–चिकिसा परिषद कार्यालय के पत्रांक–र–20 / उ0परा0चि0प0 / 71 / 2018 / 18326 दिनांक 17 जून, 2023 के कम में दिनांक 19.06.2023 को डॉल्फिन पी0जी0 इन्स्टीट्यूअ ऑफ बायोमेडिकल नचुरल साइसेज, ग्राम–माडुवाला चकराता रोड देहरादून संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2022–23 का निरीक्षण दल द्वार स्थलीय / भौतिक निरीक्षण किया गया।

2– चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या–554 / XXVIII(I)/2014-17(पैरा0) / 2014, दिनांक–28 नवम्बर, 2014 के द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति / अनुमति प्रदान की गई है:–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीटों की संख्या
01.	डॉल्फिन पी0जी0 इन्स्टीट्यूअ ऑफ बायोमेडिकल नचुरल साइसेज, ग्राम–माडुवाला चकराता रोड देहरादून।	बी0एम0एल0टी0	50
		बी0एस0सी0एम0एम0	50
		एम0एस0सी0एम0एल0टी0	20
		बी0पी0टी0	50
		एम0पी0टी0 (आर्थो–20, न्यूरो–15, स्पोर्टस–15)	50

3– उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 05 पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2022–23 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के कम में निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु संस्थान को उक्त परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4– अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17(6)(आठ) के अन्तर्गत शिक्षण सत्र चलाने से पुर्व राज्य सरकार से अनापत्ति / अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है, एवं संस्थान को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पत्र मिलने पर सम्बद्धता पत्र परिषद कार्यालय मे जमा कराना होगा सम्बद्धता पत्र जमा न कराये जाने की स्थिति में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2022–23 मे दिया जा रहा मान्यता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा, संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान मे आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस संन्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(डॉ0 राजन अरोड़ा)
सचिव / रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद।